संख्या-260/2019/5244/26-3-2019-4(358)/07टी0सी0-।।।

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर 2019

विषयः दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम एवं द्वितीय चरण के शुद्ध डाटा को स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3575-76/स0क0/शिक्षा-अ/3/181/2019-20 दिनांक-23.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम एवं द्वितीय चरण के शुद्ध डाटा को स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन्टरनेट प्रणाली बंद होने के कारण वर्तमान समय-सारिणी में संशोधन करते हुये छात्र स्तर से त्रुटियों के संशोधन हेतु लागिन दिनांक-28.12.2019 से बढ़ाकर दिनांक-31.12.2019 एवं विभागीय अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से प्रथम/द्वितीय चरण की समय-सारिणी के अन्तर्गत शुद्ध डाटा को स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि 11.01.2020 किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0सं0-260/2019/5244(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in